अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक–17.07.2018 को सम्पन्न बैठक में दिए गए निदेश।

अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग द्वारा लघु सिंचाई योजनाओं की समीक्षा दिनांक–17.07.2018 को की गई एवं निम्न निदेश दिए गए :–

1. विगत बैठक में दिए गए निदेश का अनुपालन प्रतिवेदन अगली बैठक में प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः– मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची / दुमका / निदेशक, भूगर्भ जल निदेशालय, राँची)

2. प्रत्येक माह में होने वाले बैठक का Agenda बैठक के पूर्व तय कर लेना आवश्यक है। बैठक के एजेन्डा की जानकारी से सभी संबंधित को अवगत करा दिया जाय।

(अनुपालनः– अभियंता प्रमुख–II)

3. प्रशासनिक स्वीकृति में दो वित्तीय वर्ष के स्थान पर 24 माह अंकित किया जाय।

(अनुपालनः– मुख्य अभियंता (मो०))

4. सभी चल रही योजनाओं के पूर्ण किये जाने का Timeline माहवार तैयार किया जाय, जिससे कि यह ज्ञात हो सके कितनी योजनाएं माहवार पूरी हो रही है।

(अनुपालनः– सभी क्षेत्रीय कार्यपालक अभियंता)

5. सभी चल रही योजनाओं से संबंधी प्रतिवेदन देने एंव इसे प्रत्येक माह Update करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः– सभी क्षेत्रीय कार्यपालक अभियंता)

6. प्रतिवेदन में प्रशासनिक स्वीकृति की राशि के साथ–साथ एकरारित राशि अंकित किया जाए, जिससे कि Liability का वास्तविक आकलन हो सके।

(अनुपालनः– मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची / दुमका)

7. निर्मित सभी चेकडैम योजनाओं की सूची, योजना की वर्त्तमान भौतिक स्थिति, योजना चल रही है या बंद, योजना के जल उपभोक्ता समिति के अध्यक्ष एवं सचिव का नाम तथा उनका Mobile No की समेकित सूची तैयार की जाय।

(अनुपालनः– सभी क्षेत्रीय कार्यपालक अभियंता)

8. सभी लघु सिंचाई प्रमंडल विभाग द्वारा निर्मित सभी प्रकार की लघु सिंचाई योजनाओं का विवरण Asset रजिस्टर में संधारित करेंगे।

(अनुपालनः– सभी क्षेत्रीय कार्यपालक अभियंता)

9. वैसे निर्माणाधीन मध्यम सिंचाई योजनाएं जिनका कार्य वन भूमि अपयोजन एंव भू–अर्जन के कारण बाधित है, उन योजनाओं को संचिका में उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः– मुख्य अभियंता (मो०))

10. Participatory Irrigation Management की Executive Committee की बैठक आहूत करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः– मुख्य अभियंता (मो०))

11. प्रत्येक जल उपभोक्ता समिति के साथ एक कनीय अभियंता को संलग्न किया जाए, जिसकी उपस्थिति में समिति की बैठक नियमित अन्तराल पर हो।

(अनुपालनः– मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची / दुमका)

12. प्रत्येक कनीय अभियंता को स्थल डायरी संधारित करने का निदेश दिया गया जिसमें उनके द्वारा स्थल निरीक्षण किए जाने की जानकारी अंकित की जायगी। संबंधित सहायक अभियंता उसे प्रतिहस्ताक्षारित कर कार्यपालक अभियंता को भेजेगें एवं कार्यपालक अभियंता द्वारा जांचोपरांत अधीक्षण अभियंता को भेजा जाएगा।

(अनुपालनः– मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची / दुमका)

13. कार्यपालक अभियंता से कनीय अभियंता तक के पदाधिकारियों के कार्य स्थल निरीक्षण का एक Matrix तैयार करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः– मुख्य अभियंता (मो०))

14. Walk Through Survey कर प्रत्येक प्रखंडों में सभी सम्भावित चेकडैम योजनाओं की सूची तैयार करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः– सभी क्षेत्रीय कार्यपालक अभियंता)

15. भवनों में बनने वाले Recharge Pit से भू–गर्भ जल स्तर में होने वाली बढ़ोतरी का आकलन करने का निदेश दिया गया। इस हेतु किसी एक क्षेत्र का चुनाव कर ग्रीड में संरचना निर्माण करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः– निदेशक, भूगर्भ जल निदेशालय, राँची)

16. Rain Water harvesting संरचना निर्माण हेतु झालको को नगर निगम के परामर्शी के रूप में कार्य करने की सम्भाव्यता का पता लगाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः– प्रबंध निदेशक, झालको)

20.7.16

अपर मुख्य सचिव
जल संसाधन विभाग,राँची।

पत्रांक–3 / पी०एम०सी० / बैठक / 60 / 2013....301.......... **/ राँची, दिनांक–**....23/7/18

प्रतिलिपिः–अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग / मुख्य अभियंता (मो0) / मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची / दुमका / सभी अधीक्षण अभियंता लघु सिंचाई अंचल / सभी कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई प्रमंडल / प्रबंध निदेशक, झालको, राँची / निदेशक, भू–गर्भ जल निदेशालय, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/07/18

अभियंता प्रमुख–II
जल संसाधन विभाग,राँची।

पत्रांक–3 / पी०एम०सी० / बैठक / 60 / 2013....301.......... **/ राँची, दिनांक–**....23/7/18

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

20/07/18

अभियंता प्रमुख–II
जल संसाधन विभाग,राँची।

पत्रांक–3 / पी०एम०सी० / बैठक / 60 / 2013....301.......... **/ राँची, दिनांक–**....23/7/18

प्रतिलिपिः–वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/07/18

अभियंता प्रमुख–II
जल संसाधन विभाग,राँची।